संख्या-10 /2025/303/तीस-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2025

विषय:- परिवहन विभाग की वेबसाइट (uptransport.upsdc.gov.in) को हिन्दी भाषा में विकसित कराये जाने हेतु यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पर आने वाली अनुमानित लागत के अग्रिम भुगतान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-04(शा0)कं0से0/2025-परिवहन वेबसाइट/2016, दिनांक 21 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस 2011-15/1(1)/69 दिनांक 10 जून, 2011 के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या-1 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में परिवहन विभाग की वेबसाइट **uptransport.upsdc.go.in** को हिन्दी भाषा में विकसित कराने हेतु यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर एवं यूपीडेस्को द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन पर आने वाली अनुमानित लागत रू0 1,36,679.00 (रू0 एक लाख छत्तीस हजार छ: सौ उन्नासी) (जी0एस0टी0 सहित) का अग्रिम भुगतान किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(4) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
(7) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2025/303(1)/30-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in